राष्ट्रपति का तात्पर्य

- भारत के राष्ट्रपति, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किये जाते हैं।
- अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित हैं।
- वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी हैं।
- सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध/शान्ति की घोषणा करने वाला होता है।
- वह देश के प्रथम नागरिक हैं।
- भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।

ब्रिटिश महारानी/राजा से भारतीय राष्ट्रपति की तुलना समानता

- भारत में राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं निर्धारित की गई है। वहीं, ब्रिटेन में भी संवैधानिकतौर पर इसको लेकर कोई उम्र का बंधन नहीं है। जैसे- 96 साल की महारानी ने 70 साल तक शासन किया है।
- दोनों को पदों का रुतबा प्रतीकात्मक है। आसान भाषा में समझें तो कुछ अपवादों को छोड़कर ये ज्यादातर फैसले प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की सलाह पर लेने का काम करते हैं। ये उन्हीं की फैसलों पर अपनी मुहर लगाते हैं।
- दोनों ही अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कामों की जानकारी देते हैं। उनके भाषण में सरकार के कामों का सकारात्मक रुख ही नजर आता है।

अंतर

- संवैधनिक तौर भी ब्रिटिश राजा/महारानी और भारतीय राष्ट्रपति के अधिकारों में कई अंतर देखने को मिलते हैं जो बताते हैं कि कुछ मामलों में भारतीय राष्ट्रपति तो कुछ मामलों ब्रिटिश महारानी या राजा से ज्यादा ताकतवर रहे हैं। दोनों के अधिकारों और शक्तियों में कितना अंतर है इसे बिन्दुवार दर्शाया गया हैं-
- दोनों ही संवैधानिक पद हैं, लेकिन ब्रिटेन में संवैधानिक तौर पर राजतंत्र लागू है। भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं होता और मतदान के जरिए उन्हें चुना जाता है। वहीं, ब्रिटेन के राजा या महारानी के मामले में ऐसा नहीं होता। इनके चुनने का फैसला शाही परिवार लेता है और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को यह अधिकार मिलता है यानी सबकुछ वंशानुगत होता है।
- ब्रिटिज ताज को संभालने वाला कॉमनवेल्थ देशों का प्रमुख होता है। देश में राजघरानों, सम्पत्ति और महलों का दबदबा होता है। वहीं, भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है। वह केवल एक ही देश का प्रमुख होता है।
- भारतीय राष्ट्रपति का एक अपना तय कार्यकाल होता है, जिसे पूरा करने के बाद उसे पद छोड़ना पड़ता है। ब्रिटेन में शाही गद्दी पर बैठे राजा या महारानी के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे- 70 साल से महारानी शादी गद्दी पर काबिज रही हैं। अब मौत के बाद प्रिंस चार्ल्स उस पर बैठेंगे।
- ब्रिटेन की संसद यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य शाही गद्दी पर बैठे शासक से सवाल पूछ सकते हैं, जिसका उनको जवाब देना पड़ता है। भारत में राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई नियम नहीं होता। संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति से सवाल नहीं किया जा सकता है। वह किसी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति की तुलना

अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति की तुलना

क्र.सं.	विषय	भारत के राष्ट्रपति	अमेरिका के राष्ट्रपति
1.	नामांकन विधि	भारतीय राष्ट्रपति का चयन भारतीय लोकतंत्र के माध्यम से होता है	संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चयन निर्वाचनों के माध्यम से होता है.
2.	कार्यक्षेत्र	भारतीय राष्ट्रपति का कार्यक्षेत्र आधिकारिक रूप से सीमित होता है	संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यक्षेत्र विस्तारशील है.
3.	पार्टी सिस्टम	भारतीय राष्ट्रपति निर्वाचनों में पार्टी सिस्टम का पालन करते हैं	जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचन अधिकांशत: पार्टीबद्ध होते हैं.
4.	निर्वाचन प्रक्रिया	भारतीय राष्ट्रपति का चयन भारतीय संसद के सदस्यों द्वारा होता है	संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चयन विशिष्ट वहम में नागरिकों के द्वारा होता है.
5.	कार्यक्षेत्र की विधियां	भारतीय राष्ट्रपति का कार्यक्षेत्र संविधान द्वारा निर्धारित होता है	संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यक्षेत्र कानूनी प्रमाणपत्रों द्वारा निर्धारित होता है.
6.	प्रतिभागीय सम्बन्ध	भारतीय राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के	संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति

7.	न्यायिक प्रभाव	भारतीय राष्ट्रपति का न्यायिक प्रभाव सीमित होता है	संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का न्यायिक प्रभाव महत्वपूर्ण है , उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना पड़ता है.
8.	सामरिक आत्मनिर्भरता	संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को सामरिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता होती है	भारतीय राष्ट्रपति को सामरिक मामलों में सीमित आत्मनिर्भरता होती है.
9.	संविधानिक भूमिका	भारतीय राष्ट्रपति को संविधान की सुरक्षा और निर्वाचन के प्रक्रिया में भूमिका होती है	संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति की संविधानिक भूमिका सीमित होती है.
10.	प्रमुख उद्देश्य	भारतीय राष्ट्रपति का प्रमुख उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्र की रक्षा और अनुसंधान में सहायक होता है	संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रमुख उद्देश्य देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास में सहायक होता है.

भारतीय राष्ट्रपति के पद हेतु अहर्ताएं एवं शर्ते

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता की आवश्यकता होती है जैसे-
  1. भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
  2. कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
  3. वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो।
  4. वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो ।
- इस उदेश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी की वह संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठां रखेगा और वह भारत की सम्प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण रखेगा। इसके अतिरिक्त, उसके पास ऐसी अन्य अहर्ताएं होनी चाहिए, जो संसद द्वारा मांगी गई हो।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने निम्नलिखित अन्य अहर्ताएं निर्धारित की हैं:

- उस व्यक्ति को, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, जो उनके लिए अरक्षित नहीं हैं।

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय में उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेगा।

राष्ट्रपति का निर्वाचन

- भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका काफी अनूठा है क्योंकि इसमें कई देशों के चुनाव के तरीकों को शामिल किया गया है।
- राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता हैं।
- निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है और इनके सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक होता है।
- उनका वोट सिंगल ट्रांसफीरेबल होता है और उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता हैं?

- राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें राज्य सभा, लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते है।
- इस मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शामिल किया गया था।
- इस पद के उम्मीदवार के पक्ष में निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक सदस्य होना अनिवार्य है।
- इसके बाद प्रत्येक योग्य मतदाताओं के मत का मूल्य निकाला जाता है जोकि अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग होता है।
- राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है। फिर शेषफल में 1000 से भाग दिया जाता है।
- संसद सदस्यों के मत मूल्य निकालने के लिए राज्य विधानसभाओं के कुल मत मूल्य में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है।
- राष्ट्रपति के चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है।

राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में विवाद

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बंधित सभी विवादों की जाँच उच्चतम न्यायालय करेगा।
- यदि उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित कर देता है, तब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद और शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख को या उससे पहले, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा किये गए कार्य अवैध नहीं होंगे।

- यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचकगण में रिक्तियां हैं, तो ऐसी रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है की कुछ विधान सभाओं का विघटन हो गया है और उनके लिए निर्वाचन होना है।
- अनुच्छेद 62 यह निर्दिष्ट है की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन राष्ट्रपति की अवधि की समाप्ति के पूर्व हो जाना चाहिए।

राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य

- राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां व किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं:

कार्यकारी शक्तियां

राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां व कार्य हैं:

- भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं।
- वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध हों।
- वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज
- रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरत हो सकें।
- वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तथा वे उसकी प्रसादपर्यंत कार्य करते हैं।
- वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है महान्यायवादी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर कार्य करता है।
- वह भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है।
- वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है।
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिये कह सकता है, जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो, किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो।
- वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है।
- वह केंद्र-राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है।
- वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्रशासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है।
- वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त हैं।

विधायी शक्तियां

- राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है तथा उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं:
- वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
- वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है।
- वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है।
- यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा के सभापति व उप-सभापति दोनों पद रिक्त हों तो वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है 1
- वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है।
- वह लोकसभा में दो आंग्ल-भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है।
- वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न पर निर्णय करता है।
- संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। उदाहरणार्थ, भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक अथवा राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण या संबंधी विधेयक

- जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह :
  (अ) विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है; अथवा
  (ब) विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है; अथवा
  (स) विधेयक को (यदि वह धन विधेयक नहीं है तो) संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। हालांकि यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुन: पारित करती है तो राष्ट्रपति की अपनी सहमति देनी ही होती है।
- राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति:
  (अ) विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है; अथवा
  (ब) विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, अथवा;
  (स) राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक (यदि वह धन विधेयक नहीं है तो) को राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। यह ध्यान देने की बात है कि यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुन: राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है।
- वह संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद की पुन: बैठक के छह हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है।
- वह महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है।
- वह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन व दीव में शांति, विकास व सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। पुडुचेरी के भी वह नियम बना सकता है परंतु केवल तब जब वहाँ की विधानसभा निलंबित हो अथवा विघटित अवस्था में हो।

वित्तीय शक्तियां

राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां व कार्य निम्नलिखित हैं:

- धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- वह वार्षिक वित्तीय विवरण (केंद्रीय बजट) को संसद के समक्ष रखता है।
- अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है।
- वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है।
- वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है।

न्यायिक शक्तियां

राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां व कार्य निम्नलिखित हैं:

- वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
- वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है।
- वह किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दण्डदेश को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है, या दण्ड में क्षमादान, प्राणदण्ड स्थगित, राहत और माफी प्रदान कर सकता है।
  (अ) उन सभी मामलों में, जिनमें सजा सैन्य न्यायालय में दी गई हो,
  (ब) उन सभी मामलों में, जिनमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो, और
  (स) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड का स्वरूप प्राण दंड हो

राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति

- संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं
  1. संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में
  2. सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, और
  3. यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो।
- राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। वह एक कार्यकारी शक्ति है परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता राष्ट्रपति की इस शक्ति के दो रूप हैं–
  (अ) विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए,
  (ब) यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसका बचाव प्रदान करने के लिए।

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं–

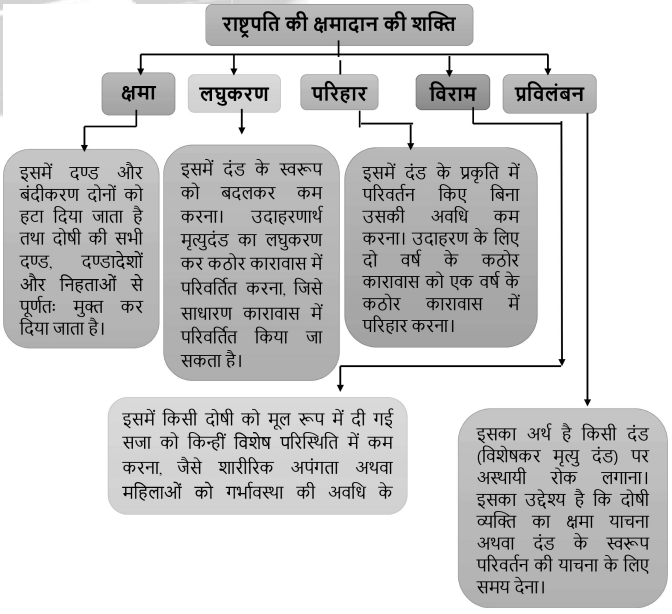

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ

भारतीय राष्ट्रपति के पास वीटो के तीन प्रकार होता हैं-

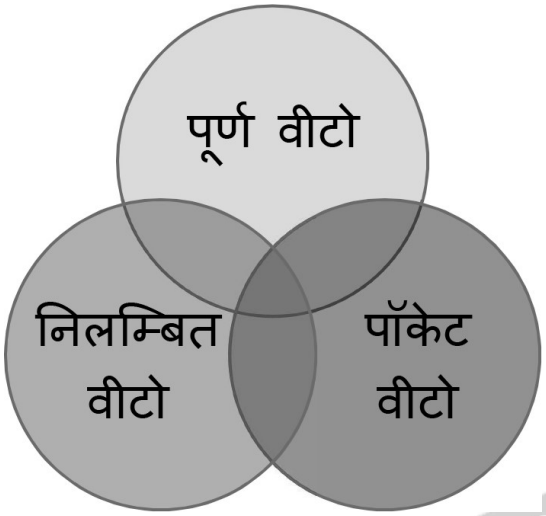

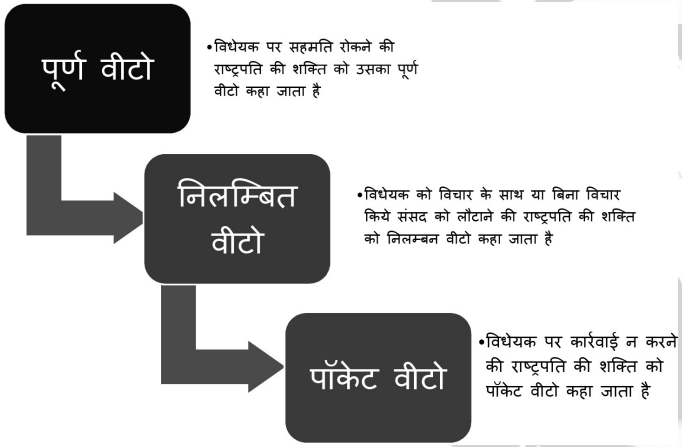

राष्ट्रपति का पूर्ण वीटो

- भारतीय राष्ट्रपति की पूर्ण वीटो शक्ति के बारे में तथ्य नीचे दिए गए हैं:
- जब राष्ट्रपति अपने पूर्ण वीटो का प्रयोग करता है, तो कोई विधेयक कभी भी प्रकाश का दिन नहीं देखता है। यह विधेयक भारतीय संसद से पारित होने के बाद भी समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है।
- राष्ट्रपति निम्नलिखित दो मामलों में अपने पूर्ण वीटो का उपयोग करता है:
  - जब संसद द्वारा पारित विधेयक एक निजी सदस्य विधेयक है
  - जब कैबिनेट राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अपनी सहमति देने से पहले इस्तीफा दे देती है। नई कैबिनेट राष्ट्रपति को पुरानी कैबिनेट द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे सकती है।

नोट: भारत में, राष्ट्रपति पहले भी अपने पूर्ण वीटो का प्रयोग कर चुके हैं। 1954 में राष्ट्रपति के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्रयोग किया और बाद में 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इसका प्रयोग किया।

राष्ट्रपति का निलम्बित वीटो

- भारतीय राष्ट्रपति की निलम्बित वीटो शक्ति के बारे में तथ्य नीचे दिए गए हैं:
- जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भारतीय संसद को लौटाते हैं तो वे अपने निलम्बित वीटो का प्रयोग करते हैं।

नोट: यदि संसद संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को भारतीय राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो उन्हें अपनी किसी भी वीटो शक्ति का उपयोग किए बिना विधेयक को मंजूरी देनी होगी।

- भारतीय संसद द्वारा विधेयक को दोबारा पारित किए जाने से उनका निलंबित वीटो खत्म हो सकता है

नोट: राज्य विधेयकों के संबंध में, राज्य विधायिका के पास राष्ट्रपति के निलंबित वीटो को रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक सकता है और यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को राज्यपाल को और राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजता है, तब भी वह अपनी सहमति रोक सकता है।

- जब संसद राष्ट्रपति को विधेयक दोबारा भेजती है, तो उसे सदनों में केवल सामान्य बहुमत का पालन करना होता है, न कि उच्च बहुमत का।)
- राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में अपने निलम्बित वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते।

राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो

भारतीय राष्ट्रपति की निलम्बित वीटो शक्ति के बारे में तथ्य नीचे दिए गए हैं:

- जब राष्ट्रपति अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं तो विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है।
- वह न तो विधेयक को अस्वीकार करता है और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है।
- संविधान राष्ट्रपति को कोई समय-सीमा नहीं देता जिसके भीतर उसे विधेयक पर कार्य करना हो। इसलिए, राष्ट्रपति अपने पॉकेट वीटो का उपयोग करते हैं जहां उन्हें विधेयक पर कार्रवाई नहीं करनी होती है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत, जिन्हें 10 दिनों के भीतर विधेयक दोबारा भेजना होता है, भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई समय-नियम नहीं है।

विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की स्थिति

विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की स्थिति	
विधेयक	**राष्ट्रपति की स्थिति**
साधारण विधेयकों के संबंध में	• पुष्टि करना • वापस करना • अस्वीकार करना
धन विधेयक के संबंध में	• पुष्टि करना • अस्वीकार करना ➢ वापस नहीं कर सकते
संवैधानिक संशोधन विधेयकों के संबंध में	राष्ट्रपति कर सकते हैं: • पुष्टि करना राष्ट्रपति **नहीं** कर सकते: • अस्वीकार करना • वापस करना

राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति

अध्यादेश का क्या अर्थ है?

- अध्यादेश एक कानून की तरह होते हैं लेकिन संसद द्वारा अधि नियमित नहीं किए जाते हैं, बल्कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा या उनमें से कोई भी सत्र में नहीं होता है। अध्यादेश जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश जरूरी है। अध्यादेशों का उपयोग करके तत्काल विधायी कार्रवाई की जा सकती है।

नोट: किसी अध्यादेश के अस्तित्व में आने के लिए, इसे पेश किए जाने के छह सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अध्यादेश पेश होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद की बैठक आवश्यक है।

राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति

- अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधि त है। राष्ट्रपति के पास कई विधायी शक्तियाँ हैं और यह शक्ति उनमें से एक है।
- राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति

- वह केवल इन परिस्थितियों में ही अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है:
  - जब दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो
  - ऐसी परिस्थितियाँ घटित होती हैं जहाँ राष्ट्रपति सदनों के एकत्र होने की प्रतीक्षा किए बिना कार्य करना आवश्यक समझते हैं

कोई भी अध्यादेश पूर्वव्यापी प्रकृति का हो सकता है

- जब दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो तब निकाला गया अध्यादेश शून्य प्रकृति का होता है
- संसद को अपनी पुन: बैठक के छह सप्ताह के भीतर अध्यादेश को मंजूरी देनी होती है
- अध्यादेश के तहत किए गए और समाप्त होने से पहले पूरे किए गए कार्य पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं
- भारतीय संविधान के विपरीत, दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक संविधान अपने राष्ट्रपति को ऐसे अध्यादेश बनाने की शक्ति नहीं देते हैं
- इसका राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति से कोई संबंध नहीं है
- अध्यादेश बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति के विकल्प के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। केवल विशेष परिस्थितियों में ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है
- दुर्भावना के आधार पर अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायसंगत है

राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति की सीमाएँ क्या हैं?

निम्नलिखित सीमाएँ हैं:

1. राष्ट्रपति तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो या केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो।
2. किसी अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए ऐसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए जिससे राष्ट्रपति को अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाना आवश्यक लगे

नोट: आरसी कूपर बनाम भारत संघ (1970) में सर्वोच्च न्यायालय, जबकि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण) अध्यादेश, 1969 की संवैधानिकता की जांच करते हुए, जिसमें भारत के 14 सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की गई थी, यह माना गया कि राष्ट्रपति के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि 'तत्काल कार्रवाई' की आवश्यकता नहीं है; और अध्यादेश मुख्य रूप से विधायिका में बहस और चर्चा को दरकिनार करने के लिए पारित किया गया था।

- 38वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 123 में एक नया खंड (4) डाला जिसमें कहा गया कि अध्यादेश जारी करते समय राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम थी और किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। हालाँकि, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन ने इसे उलट दिया और अध्यादेश लाने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायसंगत बना दिया।
  1. अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर लाये जा सकते हैं जिन पर भारतीय संसद कानून बना सकती है।
  2. अध्यादेश नागरिकों के किसी भी अधिकार को नहीं छीन सकते जिनकी गारंटी भारतीय संविधान के मौलिक अधि कारों द्वारा दी गई है।

3. यदि संसद अपनी पुन: बैठक के छह सप्ताह के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो अध्यादेश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है
4. यदि दोनों सदन अध्यादेश को अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित कर दें तो अध्यादेश भी अमान्य हो जाता है

नोट: अध्यादेश की अधिकतम आयु छह महीने और छह सप्ताह हो सकती है।

- राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति के बीच तुलना
- अनुच्छेद 213 अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाने की राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है। उसकी अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति के काफी समान है।

राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति	राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति
वह तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब लोकसभा या राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो या दोनों का सत्र नहीं चल रहा हो	वह तब अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब एकसदनीय विधायिका के मामले में विधान सभा सत्र में नहीं है या जब द्विसदनीय विधायिका के मामले में विधान सभा और परिषद दोनों सत्र में नहीं हैं।
वह केवल उन मामलों के लिए अध्यादेश ला सकता है जिन पर संसद (लोकसभा और राज्यसभा) कानून बना सकती है	वह केवल उन्हीं मामलों के लिए अध्यादेश ला सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है
उनके अध्यादेशों का नीतियों पर वही प्रभाव पड़ता है जो संसद के अधिनियमों का पड़ता है	उनके अध्यादेशों का नीतियों पर वही प्रभाव पड़ता है जो राज्य के अधिनियमों का पड़ता है। यदि उनका अध्यादेश उन मामलों पर कानून बनाता है जिन पर राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है, तो अध्यादेश अमान्य हो जाएगा
उनके द्वारा लाया गया अध्यादेश कभी भी वापस लिया जा सकता है	उनके द्वारा लाया गया अध्यादेश कभी भी वापस लिया जा सकता है
अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। मंत्रिपरिषद (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में) की सलाह एक पूर्व-आवश्यकता है	अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। मंत्रिपरिषद (सीएम की अध्यक्षता में) की सलाह एक पूर्व-आवश्यकता है
जब राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को प्रख्यापित करता है तो उसे किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है	निम्नलिखित तीन मामलों पर राष्ट्रपति के निर्देश आवश्यक हैं: ▪ यदि समान प्रावधानों वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती ▪ यदि उन्होंने समान प्रावधानों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना आवश्यक समझा

अध्यादेश का पुन: प्रख्यापन

- कृष्ण कुमार सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की जांच की जहां बिहार राज्य ने फिर से घोषणा की एक अध्यादेश को विधायिका के समक्ष रखे बिना कई बार।
  - एक अदालत की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने दोहराया कि कानून आम तौर पर विधायिका द्वारा किया जाना चाहिए, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास है आपातकालीन शक्ति की प्रकृति में है
  - अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो किसी अध्यादेश को फिर से जारी करने की अनुमति देती हों। हालाँकि, इसमें कहा गया है कि विधायिका में अध्यादेश लाए बिना बार-बार पुन: प्रख्यापित करना विधायिका के कार्य को छीन लेगा, और असंवैधानिक होगा।
  - अदालत ने उस मामले में कार्रवाई को संवैधानिक शक्ति पर धोखाधड़ी घोषित किया।
- सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ तत्कालीन CJI पी एन भागवती की अध्यक्षता में ने माना कि-
  - किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश विधानमंडल की पुन: बैठक के छह सप्ताह की समाप्ति पर लागू नहीं होगा।
  - यदि सरकार चाहती है कि अध्यादेश छह सप्ताह की अवधि के बाद भी लागू रहे, तो उसे षविधानमंडल के समक्ष जाना होगाष, जो संवैधानिक प्राधिकरण है जिसे कानून बनाने का कार्य सौंपा गया है।

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति

- संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है। फलस्वरूप राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। अन्य शब्दों में, राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता व सलाह से करता है।
- डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को निम्न प्रकार से बताया है:
- भारतीय संविधान में, भारतीय संघ के कार्यकलापों का एक प्रमुख होगा, जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा जाएगा।
- कार्यपालक उपाधि अमेरिका के राष्ट्रपति की याद दिलाती है। नाम में समानता के अतिरिक्त, अमेरिका में प्रचलित सरकार एवं भारतीय संविधान के तहत अपनाई गई सरकार में अन्य कोई समानता नहीं है।
- सरकार की अमेरिकी व्यवस्था को राष्ट्रपति व्यवस्था कहा जाता है और भारतीय व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है।
- अमेरिका की राष्ट्रपति व्यवस्था में कार्यकारी व प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की स्थिति है।
  - वह राष्ट्र का प्रमुख होता है, पर कार्यकारी नहीं होता।
  - वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर शासन नहीं करता है।
  - वह राष्ट्र का प्रतीक है।
  - वह प्रशासन में औपचारिक रूप से सम्मिलित है अथवा एक मुहर के रूप में है जिसके नाम पर राष्ट्र के निर्णय लिए जाते हैं।
  - वह मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर है।
  - वह उसकी सलाह के विरुद्ध अथवा उनकी सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता है।

- अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी सचिव को किसी भी समय हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है जब तक कि उसके मंत्रियों का संसद में बहुमत हो।
- राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 53, 74 और 75 के प्रावधानों का संदर्भ लिया गया-
  1. संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा (अनुच्छेद 53) ।
  2. राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रीपरिषद होगी वह संविधान के अनुसार अपने कार्य व कर्त्तव्य का उनकी सलाह पर निर्वहन करेगा (अनुच्छेद 74)।
  3. मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी (अनुच्छेद 75) । यह उपबंध संसदीय व्यवस्था की नींव है।
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 (इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू) में कहा गया कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है।
- 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 (जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू) में कहा गया कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सामान्यत: अथवा अन्यथा रूप से मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए वह बाध्य है। अन्य शब्दों में, राष्ट्रपति एक बार किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए वह बाध्य है
- अक्टूबर 1997 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति के. आर. नारायणन को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356 के अंतर्गत) लगाने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने मामले को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, तब मंत्रिमंडल ने मामले को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया। इस प्रकार बीजेपी की कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार बच गई।
- पुन: सितम्बर 1998 में राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। कुछ महीने पश्चात् कैबिनेट ने पुन: वही सलाह दी। केवल तभी फरवरी 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
- यद्यपि, राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है परंतु उसके पास कुछ परिस्थितीय विवेक स्वतंत्रतायें हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में अपनी विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग (बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर) कर सकता है-
  1. लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
  2. वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है, यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सके।
  3. वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया हो।

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

राष्ट्रपति (President)

1. भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का परीक्षण कीजिए।

Examine the method of elections of the President of India.

(BPSC, 41th)

2. " जुलाई 2007 में संपन्न राष्ट्रपति का चुनाव कई कारणों से अनूठा था।" कुछ कारणों का उल्लेख कीजिए ।

Election of President in July 2007 was unique for various reasons. Enumerate some of them.

(BPSC, 47th)

3. 'भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान हैं , जो सभी प्राधिकार रखता है किंतु यदि घर में शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है।" मूल्यांकन करें।

The role of the President of India is like that of the eleder in the family who holds all the authority but if the naughty young member in the house does not listen to him, then he cannot do anything effective. Evaluate

(BPSC, 66th)

❖❖❖